

छत्तीसगढ़ राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था
प्रधान कार्यालय : इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय परिसर, कृषक नगर, रायपुर -1

केन्द्र

बीज प्रमाणीकरण हेतु आवेदन पत्र (आवेदन शुल्क 2/-)

1. आवेदक का नाम पिता/पति का नाम
- ग्राम पो.आ. जिला
2. क्या आप अनुसूचित जाति के हैं हां/नहीं जनजाति के हैं हां/नहीं
3. किस उत्पादक संस्था के माध्यम से लिया गया है
4. खेत कहां पर है (स्पष्ट स्थिति राजमार्ग सहित दें)
5. भूमि के अधिपत्य संबंधी विवरण (प्रमाण संलग्न करें)
6. फसल का नाम किस्म
7. बोये गये बीज की श्रेणी प्रमाणित किस श्रेणी में होना है
8. बोये गये बीज का लाट क्रमांक
9. बोई गई मात्रा किंवटल में
10. उत्पादक संस्था द्वारा प्रदाय बीज का चालान क्र. दिनांक
11. कितने क्षेत्रफल में बीज उत्पादन कार्यक्रम लिया गया है (हेक्टेयर में)
12. बोनी की तिथि
13. टैग क्रमांक (टैग संलग्न है)
मूल प्रमाणीकरण संस्था का नाम बीज प्रमाणीकरण संस्था
14. किस प्रक्रिया केन्द्र पर संसाधन करना है
15. पंजीयन शुल्क बैंक ड्राफ्ट नं.
निरीक्षण शुल्क तारीख
- बीज परीक्षण शुल्क राशि
- स्वास्थ्य परीक्षण शुल्क
- ग्रोआउट परीक्षण शुल्क
- कुल योग रूपये

मैं छत्तीसगढ़ राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था द्वारा निर्धारित सभी नियमों का पालन करूंगा।
दिनांक

संबंधित प्रक्रिया केन्द्र प्रभारी के हस्ताक्षर

आवेदक के हस्ताक्षर

कार्यालयीन उपयोग हेतु

पंजीयन क्रमांक	फसल	किस्म	श्रेणी	आवेदन मान्य/अमान्य	कारण

सहा./उप बीज प्रमाणीकरण अधिकारी/बीज प्रमाणीकरण अधिकारी

छत्तीसगढ़ राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था में बीज प्रमाणीकरण हेतु पंजीयन, प्रमाणीकरण शुल्क तथा अन्य सामान्य नियमों की जानकारी

1. प्रत्येक किस्म के लिए पृथक आवेदन-पत्र देना आवश्यक है।
2. पंजीयन हेतु एक टैग मूल रूप से इस आवेदन-पत्र के साथ संलग्न किया जाना आवश्यक है, जिसका विवरण आवेदक ने आवेदन के क्रमांक 13 में दिया गया है। शेष टैग ब्रीडर लेबल प्रथम निरीक्षण के दौरान अनिवार्य रूप से प्रस्तुत किये जायें।
3. बोआई के 20 दिन के भीतर या अंतिम तिथि तक आवेदन-पत्र संस्था के प्रधान कार्यालय में निर्धारित तिथि के भीतर पहुंच जाना चाहिये।
4. पंजीयन शुल्क प्रत्येक उत्पादक को एक ऋतु में केवल रूपये 25/- देय है, जो छत्तीसगढ़ राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था, रायपुर के नाम किसी भी सहकारी/राष्ट्रीयकृत बैंक के ड्राफ्ट द्वारा देया होगा।
5. **(अ) प्रमाणीकरण शुल्क :** विभिन्न उन्नतशील बीजों के प्रमाणीकरण हेतु निम्नानुसार निरीक्षण शुल्क आवेदक द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था, रायपुर के नाम किसी भी सहकारी/राष्ट्रीयकृत बैंक के ड्राफ्ट द्वारा अग्रिम देय होगा।

क्रमांक	फसल का नाम	दर प्रति हेक्टेयर
1.	धान, गेहूँ एवं स्वयं परागित फसलें	200/-
2.	हाईब्रिड - ज्वार, बाजरा, मक्का, अरहर	250/-
3.	हाईब्रिड कपास	750/-
4.	उन्नतशील कपास	200/-
5.	अन्य परागित फसलें	250/-
6.	सब्जियां	250/-

एक एकड़ से कम क्षेत्र को निरीक्षण शुल्क लेने के लिए पूर्ण एकड़ माना जावेगा। हाईब्रिड कपास में आधा एकड़ से कम क्षेत्र को आधा एकड़ एवं आधा एकड़ से एक एकड़ पूर्ण माना जाकर निरीक्षण शुल्क लिया जायेगा।

(ब) बीज परीक्षण शुल्क : प्रत्येक 200 क्विंटल बीज या उसके अंश के नमूने की जांच हेतु रूपये 40/- प्रति नमूना देय होगा। बीज परीक्षण शुल्क संस्था के नाम किसी भी सहकारी/राष्ट्रीयकृत बैंक ड्राफ्ट द्वारा निरीक्षण शुल्क के साथ अग्रिम जमा करना होगा।

(स) बीज स्वास्थ्य परीक्षण शुल्क : गेहूँ, ज्वार, बाजरा, धान बीज स्वास्थ्य परीक्षण हेतु 10/- प्रति नमूना अग्रिम देय होगा।

(द) ग्रीनहाउस परीक्षण शुल्क : आधार फसलों के पंजीयन में ग्रीनहाउस परीक्षण शुल्क अनिवार्य रूप से जमा करना होगा। एक बीज लाट के लिए रूपये 200/- प्रति नमूना सामान्य फसलों हेतु एवं रूपये 250/- संकर फसलों हेतु अग्रिम देय होगा।

6. प्रमाणीकरण केवल उन्हीं किस्मों का किया जावेगा, जो भारत सरकार द्वारा बीज अधिनियम के अंतर्गत अधिसूचित की गई हो।

प्रबंध संचालक